

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर  
राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट: न्याय आपके द्वार केम्प कांगणी  
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 192/2013 रे0वाद  
अन्तर्गत धारा:- 53आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. हरलाल आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. लालचन्द आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
  2. अमरचन्द आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमलीहाल डाक बंगले के पीछे, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम:-
    - 2/1. श्रीमती गीता देवी पत्नि अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा
    - 2/2. श्री नरेश पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा
    - 2/3. श्री कन्हैयालाल पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा
    - 2/4. सोनल पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा
  3. मदनलाल आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली हाल निवास गली नम्बर-2, भूत बावजी के पास, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
  4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

-::निर्णय ::-

दिनांक 29.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमली, पटवार हल्का आमली, तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1095 रकबा 0.20 है., आराजी संख्या 1096 रकबा 0.43 है., आराजी संख्या 1097 रकबा 0.03 है., आराजी संख्या 1098 रकबा 0.75 है., आराजी संख्या 1100 रकबा 0.18 है., आराजी संख्या 2985 रकबा 0.35 है., कुल किता 6 रकबा 1.94 है0 हैं। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/2 लगायत 2/4 का 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 3

का 1/4 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 06.12.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 29.06.2018 को वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं वादी के अधिवक्ता को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

—:आदेश:—

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. हरलाल पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1098 / 2	0.35	चाही ।।।
2985 / 4	0.08	बारानी ।।।
कुल कित्ता 2	कुल 0.43 है.	

2. लालचन्द पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1096 / 2	0.30	चाही ।।।
1098 / 3	0.04	चाही ।।।
2985 / 3	0.09	बारानी ।।।
कुल कित्ता 3	कुल 0.43 है.	

3. नरेश कन्हैयालाल सोनल पिता अमरचन्द गीतादेवी पत्नी अमरचन्द सुनार सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1098 / 1	0.34	चाही ।।।
2985 / 2	0.09	बारानी ।।।
कुल कित्ता 2	कुल 0.43 है.	




4. मदनलाल पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1095	0.20	चाही ।।।
1096 / 1	0.13	चाही ।।।
1098 / 4	0.02	चाही ।।।
2985 / 1	0.09	बारानी ।।।
कुल किता 4	कुल 0.44 है.	

5. लालचंद मदनलाल हरलाल पिता पृथ्वीराज 3/4 नरेश कन्हैयालाल सोनल पिता अमरचंद गीता देवी पत्नी अमरचंद 1/4 हि0 ब0 सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1097	0.03	गै0मु0 आचा
1100	0.18	बीड़
कुल किता 2	कुल 0.21 है.	

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर  
राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट: न्याय आपके द्वार केम्प कांगणी  
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-192/2013 रे0वाद  
अर्न्तगत धारा:-53आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. हरलाल आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. लालचन्द आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।  
2. अमरचन्द आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमलीहाल डाक बंगले के पीछे, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम:-  
2/1. श्रीमती गीता देवी पत्नि अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा  
2/2. श्री नरेश पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा  
2/3. श्री कन्हैयालाल पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा  
2/4. सोनल पिता अमरचन्द सुनार निवासी आमली त0सहाड़ा  
3. मदनलाल आत्मज पृथ्वीराज सुनार नि0 आमली हाल निवास गली नम्बर-2, भूत बावजी के पास, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।  
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

दिनांक 29.06.2018

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. हरलाल पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार
- | आ0नं0      | रकबा         | किस्म      |
|------------|--------------|------------|
| 1098/2     | 0.35         | चाही III   |
| 2985/4     | 0.08         | बारानी III |
| कुल किता 2 | कुल 0.43 है. |            |
2. लालचन्द पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार
- | आ0नं0      | रकबा         | किस्म      |
|------------|--------------|------------|
| 1096/2     | 0.30         | चाही III   |
| 1098/3     | 0.04         | चाही III   |
| 2985/3     | 0.09         | बारानी III |
| कुल किता 3 | कुल 0.43 है. |            |



3. नरेश कन्हैयालाल सोनल पिता अमरचन्द गीतादेवी-पत्नी अमरचन्द सुनार सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1098 / 1	0.34	चाही ।।।
2985 / 2	0.09	बारानी ।।।
कुल किता 2	कुल 0.43 है.	

4. मदनलाल पिता पृथ्वीराज सुनार सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1095	0.20	चाही ।।।
1096 / 1	0.13	चाही ।।।
1098 / 4	0.02	चाही ।।।
2985 / 1	0.09	बारानी ।।।
कुल किता 4	कुल 0.44 है.	

5. लालचंद मदनलाल हरलाल पिता पृथ्वीराज 3/4 नरेश कन्हैयालाल सोनल पिता अमरचंद गीता देवी पत्नी अमरचंद 1/4 हि0 ब0 सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा	किस्म
1097	0.03	गै0मु0 आचा
1100	0.18	बीड़
कुल किता 2	कुल 0.21 है.	

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

डिक्री आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर